महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.ऑ. – जवासिया, उज्जैन – 456006 (म.प्र.)
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
(Ministry of Education, Govt. of India)
Ved Vidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasia, Ujjain – 456006 (M.P.)

प.सं.17-3/2025(प्र / वि)/मसारावेविप्र

दिनांक 28-10-2025

कार्यालय आदेश - 1823

विषय : वेदपाठशालाओं एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापकों /छात्रों के राष्ट्रीयकृत बैंक (Nationalised Bank) में बैंक खाता खोलने, KYC Update कराने के सम्बन्ध में ।

भारत सरकार द्वारा कई राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय किए जाने से बैंक के नाम, खाता संख्या, IFSC Code बदल गए हैं तथा कई वेदपाठशालाओं / इकाई अध्यापकों एवं छात्रों के बैंक खातें ग्रामीण बैंक में होने से वेदपाठशाला को अध्यापकों का मानदेय, अनुदान / इकाई अध्यापकों को मासिक मानदेय एवं अनुदानित छात्रों के अभिभावक संग संयुक्त बैंक खातें में छात्र स्वत: व्यय राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है । अनुदान की राशि बार-बार बैंक से निरस्त होकर प्रतिष्ठान के बैंक खातें में वापस आ रही है । अनुदान भुगतान प्रक्रिया बार-बार करने से समय तथा श्रमशक्ति व्यर्थ हो रही है ।

प्रतिष्ठान से अनुदानित समस्त वेदपाठशालाओं की सोसायटी/ ट्रस्ट के अध्यक्ष/सचिव / गुरु-शिष्य परम्परा योजना इकाई अध्यापकों को निर्देशित किया जाता है, कि वेदपाठशाला / इकाई अध्यापक /छात्रों का बैंक खाता अन्य किसी बैंक में विलय होने पर नवीन IFSC Code अंकित बैंक पासबुक की प्रति/ सूचना तुरन्त प्रतिष्ठान को ईमेल / पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करें ।

जिन वेदपाठशालाओं के बैंक खातें ग्रामीण बैंकों में हैं, उन वेदपाठशालाओं की सोसायटी, टस्ट्र के अध्यक्ष, सचिव को निर्देशित किया जाता है, कि वेदपाठशाला संचालित करने वाली सोसायटी / ट्रस्ट की बैठक आयोजित कर बैठक में रिजोलेशन पास कराकर सोसायटी/ ट्रस्ट के जिस नाम से ग्रामीण बैंक में बैंक खाता है, जिसमें प्रतिष्ठान द्वारा मासिक अनुदान जारी किया जा रहा है, सोसायटी/ ट्रस्ट के उसी नाम से तुरन्त राष्ट्रीयकृत बैंक (Nationlised Bank) में बैंक खाता खुलवाकर प्रतिष्ठान को सूचित करें ।

सोसायटी/ ट्रस्ट द्वारा वेदपाठशाला के नाम से अलग बैंक खाता खोलने तथा उस बैंक खातें के संचालन के लिए किसी प्रबंधक या अन्य व्यक्ति को नामित करने पर उस बैंक खातें में प्रतिष्ठान द्वारा अनुदान जारी नहीं किया जाएगा । प्रतिष्ठान द्वारा सोसायटी / ट्रस्ट अध्यक्ष / सचिव के द्वारा संचालित बैंक खातें में ही अनुदान जारी किया जाएगा तथा प्रतिष्ठान द्वारा जारी किए गए अनुदान के व्यय का उत्तरदायित्व तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के लिए सोसायटी/ ट्रस्ट के अध्यक्ष / सचिव ही जिम्मेदार होंगे ।

इसी प्रकार गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापकों के बैंक खातें भी राष्ट्रीयकृत बैंक में (Nationalised Bank) अद्यतन कर, बैंक खाते की KYC Update कराकर प्रतिष्ठान को सूचित करे ।

वेदपाठशालाओं / इकाइयों की पत्रावली का कार्य कर रहे समस्त डीलिंग असिस्टेंट को निर्देशित किया जाता है, कि वेदपाठशालाओं / इकाइयों को मासिक अनुदान भुगतान पत्रावली प्रस्तुत करते समय वेदपाठशाला जिस सोसायटी / ट्रस्ट के अधीन है, उसी के नाम से बैंक खातें की जांच कर लें तथा इकाई अध्यापक / छात्रों के बैंक पासबुक के IFSC Code एवं बैंक खाते की स्थिति का मिलान PFMS system में जांच कर सही होने पर ही अनुदान पत्रावली प्रस्तुत करें । लेखा विभाग द्वारा TRF / PPA generate करते समय बैंक खातें का सतर्कतापूर्वक मिलान किया जाए ।

सोसायटी/ ट्रस्ट के बैंक खातें के विषय में केवल सोसायटी/ ट्रस्ट के अध्यक्ष/ सचिव/ कोषाध्यक्ष से ही पत्राचार करें । प्रबन्धक से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

28/10/2025

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)
सचिव

प्रतिलिपि : (1) सहायक निदेशक, शैक्षणिक, मसारावेविप्र
(2)श्री श्रीकांत चौबे, अनुभाग अधिकारी, मसारावेविप्र
(3) श्री आशीष शर्मा, लेखाधिकारी, मसारावेविप्र
(4) समस्त वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य इकाई डीलिंग असिस्टेंट एवं लेखा विभाग के कर्मचारी
(5) समस्त वेदपाठशाला के अध्यक्ष / सचिव /गुरु-शिष्य परम्परा योजना इकाई अध्यापकों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ । (6) कार्यालय आदेश पत्रावली ।